सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 429/16 **निर्णय दिनांकः— 4.12.2017**

1. मु. मंथरादेवी बेवा मोड़सिंह जाति राजपूत निवासी पन्ना तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 09—05—2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थिति :—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 09—05—2003 जिसके द्वारा अपीलांट का आराजी काश्त आवंटन से पुख्ता आवंटन निरस्त किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के नाम ग्राम पन्ना के खसरा नम्बर 1146/1 में 8 बीघा भूमि द्वारा भूमि आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर अपीलांट की पात्रता के आधार पर आराजी जैर भूमि आरजी काश्त आवंटन के तहत आवंटन की गई तथा हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट को उसकी आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा दिया गया। तब से आज दिनांक तक अपीलांट आराजी मुतनाजा पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौके पर अपीलांट का मकान, बाड़ा आदि बनाकर परिवार सहित आबाद है। उक्त भूमि चकबन्दी में आने पर उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 3 में चक 9 जी.डब्ल्यू. एम (ए) के मुरब्बा नम्बर 131/31 में किला नम्बर 9 ता 12, 19 ता 22 में 8 बीघा पैमूद हुई। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष टी.सी. से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसील कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में

अपीलांट के नाम 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि धारण में होने से दिनांक 06–03–1998 को भूमि आवंटन का अपात्र घोषित किया गया। तथा पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 30–05–1998 के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रखी गई। जिस पर सहमति बनी कि तहसील से रिपोर्ट प्राप्त की जावे कि 1985 में टीसी धारक के बालिग पुत्र है अथवा नहीं। जिस पर कोई रिपोर्ट प्राप्त किये बिना अपीलांट का आवंटन दिनांक 09–05–2003 को खारिज कर दिया गया।

उन्होंने आगे बताया कि नियम 23 राजस्थान उपनिवेशन(इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 5 उपनियम 2 के अनुसार अपीलांट के पूर्व में धारण भूमि की गणना करने के बाद भी अपीलांट 1 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड अथवा 3 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन कराने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश से पूर्व विधिवत नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। मगर अदालत मातहत ने आवंटन नियमों की अनदेखी कर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया है जो कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

अपीलांट ने उक्त आराजी के पुख्ता आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। तत्पश्चात् बिना किसी आधार के अपीलांट का पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। जो कानून व विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्ज काश्त नहीं है। अपीलांट टी. सी. में आवंटित भूमि पर काबिज नहीं है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष ऐसा कोई दस्तावोजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आराजी जैर पर अपीलांट का कब्जा काश्त साबित होता हो। अपीलांट के धारण मे ग्राम पन्ना में 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि निहित है। अतः अपीलांट टी.सी. से पुख्ता की पात्र नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गइ है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(अ)** जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अपीलांट को तहसील कोलायत के ग्राम पन्ना के खसरा नम्बर 1146/1 में 8 बीघा भूमि भूमि आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर अपीलांट की पात्रता के आधार पर आराजी जैर भूमि आरजी काश्त आवंटन के तहत आवंटन की गई तथा हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट को उसकी आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा दिया

गया। उक्त भूमि चकबन्दी में आने पर उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 3 में चक 9 जी.डब्ल्यू.एम (ए) के मुरब्बा नम्बर 131/31 में किला नम्बर 9 ता 12, 19 ता 22 में 8 बीघा पैमूद हुई।

(ब) अपीलांट द्वारा आराजी जैर के टी.सी. से पुख्ता आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर तहसीलदार हल्का से आवेदित भूमि की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार अपीलांट के नाम ग्राम पन्ना में 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि गैर खातेदार दर्ज है। अदालत मातहत द्वारा तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह माना है कि चूंकि अपीलांट के धारण में 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि निहित है ऐसी स्थिति में अपीलांट भूमिहीन की श्रेणी में नहीं होने के कारण अपीलांट को टी.सी. की आवंटित भूमि पुख्ता नहीं की जा सकती। अतः चक 9 जी.डब्ल्यू.एम.(ए) के मुरब्बा नम्बर 131/31 के किला नम्बर 9 ता 12, 19 ता 22 में 8 बीघा भूमि निरस्त की जाती है।

(स) हमने अदालत मातहत की पत्रावली अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलांट का टी.सी. से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि चूंकि अपीलांट के धारण में पूर्व से ही ग्राम पन्ना में 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि निहित है। अपीलांट को टी.सी. आवंटन भूमिहीन के तौर पर किया गया था। चूंकि अब अपीलांट भूमिहीन की श्रेणी में नहीं रहा है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों की राय से अपीलांट का टी.सी. से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(द) प्रकरण में अपीलांट का यह कथन कि अपीलाधीन आदेश से पूर्व उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि जब अपीलांट को आराजी जैर का आवंटन भूमिहीन श्रेणी के तहत किया गया गया था। अपीलांट वर्तमान में भूमिहीन श्रेणी में नहीं है क्योंकि उसके धारण में 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि निहित है, तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य साबित हो चुका था कि अपीलांट भूमिहीन श्रेणी में ही नहीं रही, तो आराजी जैर के टी. सी. से पुख्ता का प्रश्न ही नहीं उठता।

(य) अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत नहीं किय गये कि उसके धारण में अन्य भूमि निहित है। अपीलांट द्वारा पूर्व में अन्य भूमि निहित होने के तथ्योंको छिपाते हुए टी.सी. से पुख्ता आवंटन किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कतई सही नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का टी.सी. से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज **करने** में कोई कानूनी भूल नहीं की है। अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का टी.सी. से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र विधि अनुरूपखारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–05–2003 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर